

जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र. 3235/वारंट-1/2016
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/02/2016

डॉ. देवाशीष बोस

विभागाध्यक्ष

अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय,

सागर

विषय : एम.ए. एवं पीएचडी क्रिमिनॉलॉजी के विद्यार्थियों को केन्द्रीय जेलों के भ्रमण की अनुमति बावत्।

संदर्भ : आपका पत्र क्र. सीआईएस/15-16/265 दिनांक 22.1.2016।

विषयान्तर्गत में आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के क्रिमिनॉलॉजी विषय के एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर के-05 छात्रों, एम.ए. चतुर्थ सेमेस्टर के-05 छात्रों तथा पीएचडी रिसर्च स्कॉलर-04 छात्रों को दो शैक्षणिक स्टॉफ के साथ दिनांक 10.2.2016 को केन्द्रीय जेल, भोपाल का तथा दिनांक 13.2.2016 को केन्द्रीय जेल सागर का भ्रमण करने की स्वीकृति जेल नियमों के अध्यक्षीन जेल सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (1) उक्त विद्यार्थी 02 शैक्षणिक स्टाफ के साथ जेल अधिकारियों की उपस्थिति में ही जेल भ्रमण कर सकेंगे।
- (2) जेल में मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिसिद्ध सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएं द्वारा आदेशित)

(आर. एस. विनयवर्गीय)
जेल उप महानिरीक्षक (विधि)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14/02/2016

पृ. क्र. / वारंट-1/2016
प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल भोपाल/सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जेल उप महानिरीक्षक (विधि)
मध्यप्रदेश, भोपाल